अविलंब निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें

बिहार सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन सं0–1

प्रेस विज्ञप्ति

अविलंब निर्गत

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र), बिहार सरकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र), जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है, को बिहार विधान सभा में 23/03/2021 को प्रस्तुत किया गया।

यह प्रतिवेदन एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा **बिहार में मेडिकल शिक्षा, दो दीर्घ कंडिकाओं जैसे–स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा अनुदानों की उपयोगिता** एवं **दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन–आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी) चरण–1 के तहत पथों का अनुरक्षण** तथा शासकीय विभागों के दस प्रारूप कंडिकाओं के निष्कर्षों से संबंधित है।

बिहार में मेडिकल शिक्षा की निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षः–

- **बिहार में एक लाख की आबादी पर फिजिशियन, आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक और नर्सों की 92 प्रतिशत तक रिक्तियाँ।**

  लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वर्ष 2006–07 से 2016–17 के बीच 12 मेडिकल कॉलेजों (एक डेन्टल कॉलेज सहित) का निर्माण कार्य शुरू किया गया लेकिन वर्ष 2018 तक केवल दो मेडिकल कॉलेज कार्यरत किए जा सके। 61 के लक्ष्य के विरूद्व 2018 तक सिर्फ दो नर्सिंग संस्थानों का निर्माण किया जा सका। बिहार सरकार द्वारा विद्यमान मेडिकल कॉलेजों की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयत्न नहीं किए गए।

- मेडिकल शिक्षा के सभी शाखाओं में **शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की कमी** क्रमानुसार छः से 56 प्रतिशत और आठ से 70 प्रतिशत के बीच थी।

- पांच मेडिकल कॉलेजों में वास्तविक शिक्षण घंटे में एम.सी.आई. की शर्तों के विरूद्ध 14 से 52 प्रतिशत के बीच कमी थी। **शिक्षण घंटे में कमी** का कारण संकायों का अभाव था।
- संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान विनियमन संस्थाओं के मानदंडों की तुलना में **आधारभूत संरचना (कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास इत्यादि) में उल्लेखनीय कमियाँ** पायी गयी जिसने शैक्षणिक लक्ष्य के लिए एक गैर–अनुकूल वातावरण का सृजन किया।
- नमूना–जाँचित पांच मेडिकल कॉलेजों (रा0चि0म0, बेतिया, द0 चिकि0महा0 दरंभगा, आई0जी0आई0एम0एस0, पटना, ना0चिकि0महा0 पटना, पटना चिकि0 महा0, पटना) में 2017–18 के दौरान मेडिकल कॉलेजों के 20 नमूना जाँचित विभागों में मेडिकल **उपकरणों की कमी** 38 से 92 प्रतिशत के बीच थी। मशीनों को चलाने के लिए तकनीकी मानव बल की अनुपलब्धता और मरम्मत के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण लेखापरीक्षा ने एक से नौ वर्षों से बेकार पड़े या खराब उपकरणों के मामलों को उठाया।
- मेडिकल कॉलेजों साथ ही साथ सभी नर्सिंग संस्थानों के छात्रों को मानदंडों के अनुसार 2013–18 के दौरान **ग्रामीण इंटर्नशिप** से पर्याप्त रूप से अवगत नहीं कराया गया।
- **वित्तीय प्रबंधन**

योजनामद अंतर्गत केवल 75 प्रतिशत राशि को 2013–18 के दौरान व्यय किया गया जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किये गये निर्माण कार्यों की खराब प्रगति के कारण हुआ।

वर्धमान इंस्टीच्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, पावापुरी और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और अक्टूबर 2012 से मार्च 2017 के दौरान बेतिया और पटना के चार नमूना–जाँचित कॉलेजों में सुरक्षा, सफाई और गृह व्यवस्था उद्देश्यों के लिए मानवबल की आपूर्ति के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि ₹78.47 करोड़ तक का आधिक्य भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान हुआ। आगे, कार्यकारी अभिकरणों ने ₹21.41 करोड़ का अधिक सेन्टेज प्रभारित किया।

परामर्शियों को ₹7.35 करोड़ का भुगतान किया गया और यह भुगतान सेन्टेज से नहीं कर कार्य व्यय को प्रभारित किया गया था, परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा 1 से 12 वर्षों से लंबित ₹7.30 करोड़ के डी0सी0 बिलों को जमा नहीं करने के मामले भी देखे गये।

- विभाग द्वारा मेडिकल संस्थानों की **अधूरी निगरानी और पर्यवेक्षण** के परिणामस्वरूप अनियमित प्रवेश, जाली अंक–पत्रों पर प्रवेश, कपटपूर्ण तरीकों से प्रवेश, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (पी.एम.सी., पटना) और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेगूसराय (जी.ए.सी., बेगूसराय) में स्वीकृत सीटों से परे अनियमित नामांकन किया गया।

स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग (चौ0वि0अ0) की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा अनुदानों की उपयोगिता

- चौ0वि0आ0 के कुल 28 अनुशंसाओं में से 19 को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, जबकि बिहार सरकार ने केवल दो अनुशंसाओं को पूरी तरह लागू किया।
- योजना अपर्याप्त थी क्योंकि जिला योजना समिति (जि.यो.स.) ने तकनीकी इनपुट तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्र कार्यक्रमों के स्रोतों को एकत्रित कर वर्ष 2015–18 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की विकास योजनाओं का समेकन तैयार नहीं किया।
- बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए ₹9,041.65 करोड़ के हकदार मूल अनुदानों (मू0 अनु0) को प्राप्त किया जबकि 2015–18 की अवधि के लिए नगर–पालिकाओं के लिए ₹1,011.97 करोड़ का मूल अनुदान प्राप्त किया। बिहार सरकार ने अनिवार्य शर्तों की गैर–पूर्ति के कारण ग्राम पंचायतों के लिए 2016–18 की अवधि के लिए ₹878.56 करोड़ का निष्पादन अनुदान (नि.अनु.) प्राप्त नहीं किया।

पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2015–16 के लिए मूल अनुदान की प्रथम किस्त के विलंबित विमोचन के लिए ग्राम पंचायतों को ₹8.12 करोड़ के दांडिक ब्याज का भुगतान किया।

17 से 147 दिन के लिए भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण में देरी ने भारत सरकार द्वारा अनुदानों के आगामी किस्तों के विमोचन में देरी करने को अग्रसर किया। राज्य ने 2015–17 के दौरान स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों ₹4621.85 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया।

राज्य में साथ ही साथ स्थानीय निकायों ने अपने संसाधनों से राजस्व के संग्रहण के लिए आवश्यक कदम नही उठाए। कोषागार से अनुदानों की गैर–निकासी, विभिन्न स्तर (ग्राम पंचायत, वार्ड, जिला परिषद, नगर–पालिका इत्यादि) पर अनुदान के गैर–उपयोग के मामलें पाये गये।

- नगर परिषद, सीवान द्वारा भराव–क्षेत्र के लिए भूमि के अर्जन के लिए ₹3.15 करोड़ का अनियमित भुगतान पाया गया।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि नमूना–जाँचित ग्रामपंचायतों और नगर–पालिकाओं में क्रमानुसार कार्यों का 15 और 24 प्रतिशत ही पूरा किया गया। राज्य स्तर पर नौ से 41 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया।

- पंचायती राज संस्थानों और नगर–पालिकाओं के सभी स्तरों पर **मानवबल का विकट अभाव** था। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी मामलों को देखने के लिए एकमात्र व्यक्ति था लेकिन राज्य स्तर पर 56 प्रतिशत पद खाली थे जबकि राज्य के नमूना–जाँचित नगर–पालिकाओं में 62 प्रतिशत रिक्त थे।

- संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान मापी पुस्त के फर्जी बुकिंग के मामले, अभिलेखों में निष्पादित दिखाये गये कार्यों को किया हुआ नहीं पाया गया, कार्यों के लिए भुगतान के परिप्रेक्ष्य में किए गए कार्य की मात्रा कम पाई गई।
- सहयोग सेल का गठन नहीं किया गया जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर **निगरानी समिति और लोक निर्माण समिति** कार्य की प्रगति की निगरानी और पर्यवेक्षण करने में शामिल नहीं थे।

दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन–आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी. आर.एम. सी.) चरण–1 के तहत पथों का अनुरक्षण

- इनपुट पर आधारित प्रणाली के तहत पथों के अनुरक्षण की पुरानी प्रणाली आउटपुट आधारित प्रणाली (ओ.पी.आर.एम.सी.) के तहत अभी भी जारी थी।
- पथ प्रमण्डल, बक्सर और शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के प्रतिवेदनों में सेवा–स्तर के संबंध में अंतरराष्ट्रीय खुरदरापन सूचकांक (आई.आर.आई.) मान पथ के कुछ खंड़ों में स्वीकार्य स्तर (3500 आई.आर.आई.) से ज्यादा थी इससे पथ उपयोगकर्ताओं को पथ के वांछित सेवा स्तर की गैर–उपलब्धता का संकेत मिल रहा था।
- ₹424.67 करोड़ मूल्य के कार्य 13 पैकेजों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना शुरू किए गए।
- पथ प्रमंडल, मधुबनी में तीन पैकेजों के तहत पथ मार्किंग कार्य पर ₹3.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया तथा पथ प्रमंडल, मोतिहारी एवं पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के तहत आवर्ती अनुरक्षण कार्य पर ₹99.05 लाख का अधिक भुगतान किया गया।
- उन पथों में प्रारम्भिक सुधार के तहत ₹92.72 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया जो पहले से ही दोष दायित्व अवधि में थे, साथ ही सावधिक अनुरक्षण कार्य पर ₹3.38 करोड़ एवं आपातकालीन कार्यों पर ₹86.28 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रतिवेदन में दिखाए गए हैं:

- **कपटपूर्ण निकासी:** वित्तीय नियमों के अनुपालन की विफलता के कारण ₹2.89 करोड़ का गबन।
- **सरकार को हानि:** स्वीप खाता को बचत खाता में परिवर्तित करने संबंधी महिला विकास निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹5.15 करोड़ की हानि हुई।
- **संवेदक को अधिक भुगतान:** रेलमार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से लीड की अनियमित स्वीकृति दिये जाने के कारण ₹12.04 करोड का अधिक भुगतान हुआ।
- **निष्फल व्यय:** संबंधित भवन प्रमंडलों द्वारा पूर्ण किए गए छात्रावास भवनों को अधिकार में लेने के प्रति जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण उनके मूल निर्माण पर व्यय तथा बाद में छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार पर बाद में व्यय की गई कुल ₹3.47 करोड़ की राशि निष्फल हुई।
- **आधार–सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण पर निष्फल व्यय:** शिक्षा विभाग द्वारा आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण के रोके जाने के निर्णय के कारण ₹1.98 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

- **राजकीय कोष पर अतिरिक्त भारः** बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के द्वारा बिना परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त किए अनुबंध निष्पादित करने की कार्रवाई एवं एजेंसी के विरूद्ध परफॉरमेंस गारंटी वसूली की दिशा में बिना किसी कानूनी कार्यवाही किए पुनः निविदा करने के कारण राजकीय कोष पर ₹5.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। पुनः, ब्रेडा ₹2.94 करोड़ की परफॉरमेंस गारंटी एजेंसी से वसूल नहीं सका।
- **नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजनः** कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण व नगरपालिका के लेखाओं के मिलान में कमी तथा निकाय–राजस्व के कुप्रबन्धन के कारण ₹85.45 लाख का दुर्विनियोजन।
- **कपटपूर्ण भुगतानः** एल.ई.डी. लाईट के क्रय हेतु वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम दर वाले निविदाकार द्वारा दिये गए दर को नगर परिषद, अरवल द्वारा जान–बूझकर नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹50.33 लाख राशि का अधिक व परिहार्य भुगतान।
- **विद्युत शुल्क का अस्वीकार्य भुगतानः** मार्च 2014 से अगस्त 2018 तक की अवधि में विद्युत शुल्क की छूट लेने में नगर निगमों के विफल रहने के फलस्वरुप ₹5.14 करोड़ राशि का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।
- **जान–बूझकर बरती गई लापरवाही के परिणाम स्वरूप कूडेदान के क्रय पर हानिः** कूड़ेदान के क्रय में वित्तीय प्रावधानों का पालन न किये जाने एवं मूल्य संबंधी मोल–भाव में बरती गई अनियमितता के परिणामस्वरूप दो शहरी स्थानीय निकायों को ₹6.98 करोड़ की हानि।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना

अधिकारी का नाम जिनसे विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता हैः–

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
प्रतिवेदन (सा.सा. एवं आ.प्र.)	**श्री आदर्श अग्रवाल, प्रवक्ता** **उप–महालेखाकार (प्रशासन)** कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना दूरभाष संख्याः**0612-2221941** (कार्यालय) फैक्स संख्याः**0612-2506223** **इस कार्यालय का बेवसाइट : www.ag.bih.nic.in** **ई–मेलः agaubihar@cag.gov.in** **Agarwala2@cag.gov.in** **श्री कुंदन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी** **(मीडिया अधिकारी)** **Mobile No.-** 9431624894

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना